न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00204RAAJu2018-055RTA223 Munaram etc Vs State of Raj

1. मुणाराम उर्फ मुणीलाल पुत्र पुरखाराम
2. कैलाश पुत्र शंभुराम
3. चुतराराम पुत्र धनाराम
4. माणकराम पुत्र छोगाराम

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण ब्राह्मणों की ढाणियों
ग्राम गोविन्दनगर (रिडमलसर) तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 30 अप्रेल 2018 राजस्व वाद संख्या 500/2016 राजस्थान राज्य बनाम मुणाराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 28 फर., 2020

अपीलाण्ड्स ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 500/2016 राजस्थान राज्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम मुणाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 30 अप्रेल 2018 के खिलाफ दिनांक 01 जून 2018 को पेश की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार फलोदी ने अपीलाण्ट्स सहित कुल 32 व्यक्तियों के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र बाबत रिज्युम किये जाने टीनेन्सी राइट्स पेश कर ग्राम गोविन्दनगर, रिडमलसर तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 706 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 32 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होना जाहिर किया और उक्त कृषि भूमि में से 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्राह्मणों की ढाणी का भवन बनाया जाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया प्रकट करते हुए कथन किया कि ऐसा करने के पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार कृषि भूमि का संपरिवर्तन नहीं करवाया गया, इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(क) के तहत उपरोक्तानुसार 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि बाबत अप्रार्थीगण संख्या 01 से 32 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर वादग्रस्त आराजी रेस्पो. के पक्ष में रिज्युम किये जाने की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर दिनांक 10 अगस्त 2016 को प्रकरण संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, दिनांक 25 अक्तूबर 2016 को अप्रार्थीगण संख्या 1, 6 एवं 10 की ओर से अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए, दिनांक 11 जनवरी 2017 को अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5, 7 से 9, 11 से 13, 17, 20, 21 व 22 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अन्य के सम्मनों की तामील के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं। दिनांक 30 अप्रेल 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 706 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में से 07 बीघा 15 बिस्वा बाबत अप्रार्थीगण संख्या 01 से 32 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर बेदखली के आदेश दिये गये और उक्त 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजकीय खाता में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जबाबदावा पेश करने एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लघंन हो, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। विघालय भवन का निर्माण वादग्रस्त आराजी का अधिग्रहण किये बिना ही राज्य सरकार द्वारा किया गया है और न ही अपीलाण्ट्स द्वारा कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा भूमि का उपयोग यदि वांछित है तो प्रतिकर का निर्धारण किए बिना किसी भी व्यक्ति के अधिकार ऐसी भूमि में समाप्त नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को कभी भी वाद में तब्दील नहीं किया गया और सीधे ही डिकी जारी किये जाने का आदेश दिया है। अपीलाण्ट्स ने न तो भूमि को कभी सरकार के पक्ष में समर्पित किया और न ही स्कूल भवन बनाने के लिए स्वीकृति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रदान की। ऐसी स्थिति में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान इस मामले में लागू ही नहीं होते है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण की तामील हेतु पत्रावली विचाराधीन चलने के दौरान लोक अदालत में रखी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये गये। साक्ष्य में जिन व्यक्तियों पी.डब्ल्यु-01 से पी.डब्ल्यु-05 के बयान हुए, उन सभी के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर सरकारी विघालय सन् 1972 से आदिनांक तक संचालित हो रहा है और करीब 20 वर्ष पहले उक्त विघालय की चारदीवारी का निर्माण किया गया था। प्रार्थी राज्य सरकार स्वयं है और मौके पर राजकीय विघालय निर्मित है, अतः दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी-रेस्पो. से तलब किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, मगर बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 706 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा गोविन्दनगर रिडमलसर तहसील फलोदी के खातेदारान अपीलाण्ट्स सहित समस्त 32 अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के 7 बीघा 15 बिस्वा रकबे का विधिवत संपरिवर्तत कराये बिना ही अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय ब्राह्मणों की ढाणी के भवन का निर्माण करवा लिया है, इस कारण अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की गयी उक्त भूमि की खातेदारी समाप्त कर राज्य सरकार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्ष में रिज्युम करने के आदेश प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने के कारण तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि --

1. सभी अप्रार्थीगण पर सम्मनों की <u>तामील नहीं हुई</u> है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण संख्या 1, 6 व 10 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, दिनांक 11 जनवरी 2017 को अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5, 7 से 9, 11 से 13 व 17, 20, 21 व 22 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गयी तथा अप्रार्थीगण संख्या 14, 15, 16, 18, 19 व 23 से 27, 30, 31 व 32 के सम्मन पुनः जारी किये जाने के आदेश दिये गये। किन्तु इस आदेशिका के अनुसरण में कोई कार्यवाही होना नहीं पाया जाता है।
2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर वादग्रस्त आराजी पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्राह्मणों की ढाणी के भवन निर्माण संबंधित स्वीकृति एवं उक्त भवन निर्माण के पूर्ण होने से संबंधित दस्तावेजात प्रार्थी राज्य सरकार के पास ही होना जाहिर करते हुए प्रार्थी से न्यायालय स्तर पर तलब किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक 24 अप्रेल 2018 को <u>**बिना कोई कारण दर्शाये**</u>

<u>प्रार्थना पत्र "पोषणीय नहीं होना"</u> मानते हुए खारिज कर दिया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अप्रार्थीगण द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया। इस संबंध में धारा 177 इस प्रकार है--

> **177. Ejectment for detrimental act or breach of condition**— (1) A tenant shall on the application of the landholder, be liable to ejectment from his holding—
>
> (a) on the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding or inconsistent with the purpose for which it was let, or
>
> (b) on the ground that he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he is, by special contract which is not contrary to the provisions of this Act, liable to be ejected:
>
> **Provided** that the planting of trees or the making of an improvement in accordance with the provisions of this Act shall not constitute a ground for ejectment under this section.
>
> (2) To every application under this section, any person claiming through the tenant may be joined as party and where the cause of action is based wholly or partly on any act or omission or breach of condition by a transferee or sub-lessee of the tenant, such transferee or sub-lessee shall be joined as a party.
>
> (3) On an application being made under this section, the court shall issue a notice to the opposite party to appear within such time as may be specified therein and show-cause why he should not be ejected from the holding.
>
> (4) If appearance is made within the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court fees, treat the application to be plaint and proceed with the case as a suit:

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

Provided that in the event of the application having been made by a Tehsildar in respect of land held directly from the State Government no court-fees --shall be payable.

1. (5) If no such appearance is made or if appearance is made but the liability to ejectment is not contested the court shall pass such order on the application as it may deem proper.

4. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार <u>वादग्रस्त आराजी पर सन 1972 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होना मानते</u> हुए वादग्रस्त कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनाथ उपयोग किया जाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थनापत्र/वाद प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में मात्र तीन वर्ष ही निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब के समुचित एवं संतोषजनक और विश्वसनीय कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया जाना चाहिये था, मगर ऐसा नहीं किया गया है। इस कारण मूल प्रार्थनापत्र की संधारणीयता ही मियाद के बिन्दु पर विचारणीय हो जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्धारित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रकिया के अनुरूप, विधिसतम्मतः एवं न्यायोचित नहीं पाये जाते है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 अप्रेल 2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षकारान की सम्यक तामील सुनिश्चत करते हुए उन्हें जबाब पेश करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर